संपादकीय

भारत कृषक समाज अप्रैल, 2015 में अपने 60 वर्ष पूरे कर रहा है। अतीत की सुनहरी यादों को याद करते हुऐ जब इतिहास देख रहा था तो मैंने पाया की 'भारत में कृषि और सामुदायिक विकास में किसानों की संस्थाओं की भूमिका' विषय पर उद्घाटन समारोह में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का संदर्भ देते हुऐ तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि केवल वित्तीय आबंटन पर ही नहीं बल्कि हमें अपने खून और पसीने से इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होगी। उन्होंने आगे कहा था एक तुला के समान औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की प्रगति को समान बनाना होगा ताकि एक समेकित अर्थव्यवस्था बनाई जा सके। केवल उद्योग से ही हमें सभी वस्तुऐं प्राप्त नहीं होंगी। किसानों ने ना केवल इन लक्ष्यों की प्राप्ति की बल्कि कृषि उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर भी बनाया। लेकिन आज संतुलन नहीं है, तोल की सुंई किसानों की ओर झुकी हुई है।

हमारी कृषि नीति बहुत सक्षम है – लेकिन किसी अच्छे कार्य से नहीं बल्कि बुरे परिणामों के कारण। अब हम अतित की नीतियों से कैसे निपटे और हम कैसे नई नीति बनाकर यह सुनिश्चित करें की अब वही पुरानी नीति जैसे दुषपरिणाम नहीं होंगे, यही प्रश्न बार–बार पूछा जाता है। इसका उत्तर वही है कि नीति निर्माण के कार्यों में किसानों को शामिल किया जाऐ। अगला प्रश्न होगा की किसानों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। यह सब हमें सत्तारूढ़ दल के विवेक पर छोड़ देना चाहिऐ और आशा करनी चाहिऐ की ऐसे कार्यों के लिऐ सरकार किसी राजनैतिक नियुक्ति जैसे किसी प्रॉपर्टी डीलर की नियुक्ति नहीं करेगी और न ही उन किसानों को रखेगी जो नगरों में रहते हैं और नीहित स्वार्थों की ओर से नीतियों की वकालत करते हैं।

सब्सिडी किसानों की समृद्धि के लिऐ बहुत महत्वपूर्ण है और यह उनके जीवन निर्वाह का स्तर सुधारने में भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे वह निराशा में शहरों की ओर पलायन न करें। यह सुझाव दिया गया है कि इसी कृषि सब्सिडी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोग टिके हुऐ हैं और शहरों की स्थिति अच्छी है तथा देश विखंडित नहीं है।

जैसा नेहरू जी ने कहा था की वित्त आबंटन करना ही प्रयाप्त नहीं है, मैं भी मानता हूँ कि मौसम की भविष्यवाणी, सब्सिडी तैयार करना एवंम नीतियों को लागू करना अति महत्वपूर्ण है न केवल वित्त आबंटित करना। जितना यह सरल नजर आता है उससे कई गुणा जटिल है। क्या हम इसके लिऐ तैयार हैं, नहीं हम तैयार नहीं हैं, क्या मैं आज एक चिंतित किसान हूँ ? हाँ मैं हूँ।

कृषि पर वर्ष 2015 के पूर्व–बजट विचार विमर्श मैं माननीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन/सुझाव

1. कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि अनुसंधान और विकास में 1 प्रतिशत की वृद्धि की जाऐ और अगले कुछ वर्षों में इसे 2 प्रतिशत कर दिया जाऐ।
2. कृषि विस्तार की सेवाऐं समाप्त हो चुकी हैं। 5 वर्ष की योजना की घोषणा की जाऐ जिसमें प्रत्येक 6 गांव के लिऐ एक कृषि सनात्क को एक एकसटेंशन वर्कर के रूप में नियुक्त किया जाऐ, एक लाख नौकरियाँ दी जाऐं।
3. देश में प्रत्येक भूखंड के लिऐ एक भूमि कार्ड उपलब्ध कराया जाऐ।
4. जैविक पद्धतियां, समूचित कीट प्रबंधन, जैविक कीटनाशकों और जैव उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रचार के लिऐ 10 गुणा पैसा बढ़ाया जाऐ। आरंभ में 10 प्रतिशत परिवर्तन का लक्ष्य रखें और इससे अधिक लक्ष्य बाद में।
5. विनाशशील जिंसों का उत्पादन बढ़ाना ; अगले 5 वर्षों के लिऐ प्रत्येक वर्ष 4 जिले चुने जाऐं। उन जिलों को (पिछड़े क्षेत्र को प्रमुखता) चुनें जिनमें मौसम, भूमि और जल उपलब्धता सुचारू हो। अनाज से संबंधित सभी सरकारी कार्यकर्मों को इन क्षेत्रों में ही सीमित किया जाऐ।
6. इसके अतिरिक्त स्मॉल फॉमर्स बिजनैस कनसॉरटियम और एनडीडीबी संयुक्त रूप से एक मिशन आरंभ करें जिससे प्याज, आलू और टमाटर की पैदावार अधिक हो, उनका भंडारण और नियंत्रित वितरण किया जा सके।
7. चारे पर विशेष ध्यान दिया जाऐ। इसके लिऐ 'फॉडर सीड मिशन' की आवश्यकता होगी।
8. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जैसा ही गन्ना विकास बोर्ड बनाया जाऐ।
9. आय बढ़ाने और वन क्षेत्र में वृद्धि हेतु 'कृषि वन विज्ञान' पर बल दिया जाऐ।
10. देसी नस्ल की कृत्रिम नस्लों को मिलाने के लिऐ मानकीकरन, कानूनी कार्यक्रम के लिऐ पैसा दिया जाऐ ताकि सभी किसान परिवार दूध देने वाले अच्छे पशु रख सकें और उन्हें नजदीक ही पशु चिकित्सा की सुविधाऐं भी उपलब्ध कराई जाऐं।
11. पूरे भारत में श्वेत क्रांति हेतु पैसा दिया जाऐ। फिलहाल दूध देने वाले देसी पशुओं के दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा जाऐ।
12. गोशाला के लिऐ पैसा दिया जाऐ लेकिन उसमें शर्त रखें की उस बैड़े मैं कुल पशुओं की संख्या का 40 प्रतिशत भाग नर पशुओं का हो।
13. देसी नस्लों के लिऐ पशु धन मिशन तैयार किया जाऐ जिसमें सरकार बीमे की राशि अदा करे, यह राशि दुध की मात्रा पर निर्भर होनी चाहिऐ।
14. लागू होने वाली और प्रस्तावित सभी सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की जाऐ। अवयवहारिक परियोजना को समाप्त कर दिया जाऐ।
15. बड़ी परियोजनाओं में पैसा न लगाऐं जैसे रिवर बैसिनस् को आपस में मिलाने का कार्य। इसके स्थान पर विद्यमान सभी सिंचाई की आधारभूत परियोजनाओं की मर्मरत और रख–रखाव के लिऐ, सभी नहरों को मिलाने तथा वर्तमान सिंचाई के क्षेत्रों हेतु नालि आदि की व्यवस्था करने के लिऐ फंड दिया जाऐ।
16. बाढ़ सिंचाई परियाजनाओं में पैसा न लगाऐं, आधाभूत निवेश के रूप में लघु सिंचाई परियाजनाओं को प्रोत्साहन दें।
17. 10 लाख छोटे–छोटे जल संचय जलाशयों के लिऐ फंड दें।
18. सभी किसानों को भूमि नमी नापने के सेंसर वितरित करें।
19. बिना किसी सीमा के 0 प्रतिशत शुल्क पर कृषि मशीनरी (टैक्ट्रर नहीं) के आयात की अनुमति दें।

20. सामूहिक कृषि मशीनरी और लिसिंग को अपनाने के लिऐ प्रोत्साहन राशि दें। अलग–अलग किसानों के लिऐ टैक्ट्रर सहित कृषि मशीनरी रखने को प्रोत्साहित न करें। सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संस्थाओं को कृषि मशीनरी की खरीद के लिऐ ब्याज मुक्त ऋण दें जिसका भुगतान तीन वर्षों में करना हो और यह संस्थाऐं किसानों को लीज पर अपनी सेवाऐं दें।
21. कृषि बाजार यार्ड 'मंडी' की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के लिऐ फंड दिया जाऐ और सभी वर्तमान कृषि मार्केट यार्डस में संपूर्ण आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाऐं।
22. शहरी नवीकरण के लिऐ फंड देते समय शहरों में यह अनिवार्य किया जाऐ की कुछ संख्या में किसान मार्केट्स के लिऐ स्थान दिया जाऐ और आवासीय क्षेत्रों में संडे मॉर्केटस के लिऐ भी स्थान दिया जाऐ।
23. कृषि जिंसों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध न हो। दीर्धकालिक कृषि आयात निर्यात नीति बनाई जाऐ। सरकार की अपनी मन मर्जी/विवेक को समाप्त कर देना चाहिऐ।
24. ताजे फल एवम् सब्जियों पर अधिकतम आयात शुल्क लगाया जाऐ।
25. आयातित खाद्य तेल पर भी अधिकतम आयात शुल्क लिया जाऐ। स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करें।
26. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को अधिक पैसा दिया जाऐ विशेषकर कृषि क्षेत्र हेतु मौसम की स्टीक भविष्यवानी में नवीनता लाने के लिऐ।
27. किसानों के जौखिम कम करने के लिऐ कदम उठाऐ जाऐं जिसके अंतर्गत सभी फस्लों के मौसम और मूल्य बीमा के रूप में सरकार 50 प्रतिशत परिमियम दे।
28. आंकड़े इकट्ठे करने और मूल्यांकन करने के लिऐ 10 गुना अधिक फंड दिया जाऐ।
29. किसानों को 2 लाख तक दिऐ जाने वाले ऋण की संख्या दोगुनी की जाऐ और उस पर केवल 1 प्रतिशत ब्याज लिया जाऐ। सबवेंशन (नकद आर्थिक सहायता) नीति सहायक नहीं है, इसे समाप्त किया जाऐ।
30. कृषि ऋण के आंकड़े संदेहजनक हैं। सही आंकडों के लिऐ आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है ताकि ऋण वास्तविक किसानों को ही मिले।
31. ऋण वसूली ट्रिब्यूनल जैसी एक अथॉर्टी बनाई जाऐ जिससे किसानों के ऋण विवादों का शीघ्र निपटान हो सके।
32. उर्वरक निर्माण एककों को समय पर सब्सिडी दी जाऐ। लेकिन इसके लिऐ उर्वरक क्षेत्र को मिलने वाली आर्थिक सहायता की जांच की जाऐ ताकि सरकारी धन का अधिक भुगतान न हो पाऐ।
33. नीतियों में भेदभाव – उर्वरक सहकारी संस्थाओं में भेदभाव समाप्त किया जाऐ – सैक्शन 115 बी.बी.डी. को क्षेत्र बढ़ाया जाऐ। सहकारी संस्थाओं को भी नीजि निर्माण क्षेत्र की तरह निवेश भत्ता दिया जाऐ और इन संस्थाओं को भी बाहर से पैसा लेने की अनुमति दि जाऐ जैसी अन्य कंपनियों को दी जाती है।
34. राज्य और केंद्र के सहकारी बैंकों को पूर्ण समर्थन दिया जाऐ ताकि वे न्यूनतम पूंजी की मानकों को पूरा कर सकें जिसके लिऐ पूंजी उपलब्ध करानी होगी नहीं तो सहकारी बैंक बंद हो जाऐंगे।
35. लधु कालिक कृषि ऋण देने में 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता नबार्ड द्वारा उन बैंकों को नहीं दी जाती जो दोबारा ऋण देते हैं। दोबारा लिऐ गऐ ऋण के भाग पर ब्याज सबवेंशन की सुविधा दी जाऐ।
36. नबार्ड द्वारा इन बैंकों को 2.50 प्रतिशत की दर से दोबारा वित्त देना चाहिऐ जैसे इस योजना के आरंभिक स्तर पर लागू होता है।
37. भूमि के आकार के अनुपात में सही आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई जाऐ। किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देना एक सकारात्मक उपाय हो सकता है किंतु इसमें किसानों के हितों पर आंच नहीं आनी चाहिऐ।
38. ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई के केन्द्रीय मंत्रालयों को मिलाकर एक शक्तिशाली मंत्रालय बनाया जा सकता है।

39. नियम लागू करने और सरल कारोबार करने के लिऐ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जैसे ही एक 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार' की नियुक्ति की जाऐ ताकि विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों की निगरानी, संकलन और समनव्य हो सके जिससे आरंभ से ही निचे के स्तर पर परिणाम दिखने लगेंगे।

श्री प्रताप नारायण – पूर्व महानिदेशक, फर्टिलाईजर एसोसिऐशन ऑफ इंडिया

उद्योग परिप्रेक्ष्य पर विचार करने का समय

उर्वरक की कीमत और आर्थिक सहायता पर होने वाले संपूर्ण वार्तालाप में प्राय यह भूल जाते हैं कि उर्वरक उद्योग का मूल मामला क्या है। इस उद्योग, इस जिंस के उत्पादक की भूमिका और स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उर्वरक के संदर्भ में तीन पक्ष शामिल हैं ; किसान जो कुछ कीमत ही चुका सकते हैं, सरकार जो आर्थिक सहायता का बोझ उठा सकती है या नहीं उठा सकती, और उद्योग जो व्यावहारिक होने पर ही बना रह सकता है। इन तीन हितों में से कोई एक दो अन्य पर प्रभाव डालता है। यदि किसान इसकी कीमत नहीं चुका सकता तो सरकार को हस्तक्षेप करना होगा और सब्सिडी देनी होगी। यदि सरकार सब्सिडी नहीं देती और उद्योग को भी बनाऐ रखना है तब किसान को उर्वरक की पूरी लागत चुकानी होगी। ऐसे में आज रू. 5,300/– प्रति टन बिकने वाला यूरिया रू. 18,000/– प्रति टन बिकेगा। ऐसा कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है जिसमें किसान पूरी कीमत न दे, सरकार सब्सिडी न दे तो भी उद्योग बना रहे।

जहां तक इस उद्योग का संबंध है, जैसे किसी को वर्ष 1978 में रेलवे से उर्वरक में स्थानांतरित किया गया हो, मैंने देखा है कि अतित में डाली गई नींव अब हिलने लगी है क्योंकि सब्सिडी के कारणों को समझने में बहुत कमियां आ चुकी हैं। 1960 और 1970 के दशकों में अनाज की कमी के कारण भारत को पी.एल. 480 का आयात करके अपना पेट भरना पड़ा। उन दिनों भूखमरी की जैसी स्थिति थी। उस समय अच्छी पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की अनिवार्यता महसूस की गई।

1970 के दशक में ईंधन के मूल्य बढ़ने के कारण उर्वरक के मूल्य बढ़े इसके परिणाम स्वरूप उर्वरकों की खपत कम हो गई। कम मांग के कारण उर्वरक उद्योग पर बुरा असर पड़ा। तब सरकार ने निर्णय लिया की उर्वरकों का मूल्य उतना रखा जाऐ जितना किसान वहन कर सके और आयात की लागत और उत्पादन की लागत तथा भारत में वितरण की लागत के अंतर का सब्सिडी के रूप में भुगतान करे। जहां तक आपूर्ति का संबंध था आयात या वितरण के भाव अलग से नियत किऐ जाते थे और उन दोनों के बीच के अंतर का भुगतान कर दिया जाता था। 6 लाख गांव में 13 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में लगभग 1 लाख 20 हजार करोड़ रू. की आर्थिक सहायता दी गई।

यह सब्सिडी यूरिया पर नहीं बल्कि फॉसफोरस के लिऐ शुरू की गई थी क्योंकि आयातित कच्ची फॉस्फेट के मूल्य बढ़ गऐ थे। सरकार ने यूरिया के मूल्य नियंत्रित करने का निर्णय लिया और 1,200 रू. प्रति टन की दर से फॉस्फेट पर सब्सिडी दी जानी थी। प्रश्न यह था कि यह सब्सिडी किसे मिलनी चाहिऐ ? सी. सुब्रमणियम, खाद्य एवम् कृषि मंत्री ने कहा यह सब्सिडी उद्योग को दी जाऐगी ताकि प्रशासन की लागत में कमी हो।

इस सब्सिडी के परिणाम 20–22 वर्षों के बाद दिखे। उदाहरण के लिऐ 1976 में न्यूट्रिऐंट उत्पादन 8.5 मिलियन टन था जो 1999–2000 में बढ़कर 10.87 मिलियन टन हो गया। इसी प्रकार से 1970 में नाईट्रोजन का उपयोग 2 मिलियन टन था जो वर्ष 1999–2000 में बढ़कर लगभग 12 मिलियन टन हो गया। खाद्य उत्पादन 111 मिलियन टन से बढ़कर 209 मिलियन टन हो गया। भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया और भूखमरी की स्थिति से भी निकल गया। इस सफलता में कुछ असफलताऐं भी देखने में आईं।

लोग भूल गऐ कि यह सब्सिडी क्यों आरंभ की गई थी। धीरे–धीरे सब्सिडी कम करने के स्थान पर सरकार ने इसे स्थाई बना दिया। 1992 में सरकार ने एक गलती और करी, घोषणा कर दी की फॉस्फेट और पौटेशियम अनियंत्रित कर दिया। फर्टिलाईजर एसोसिऐशन ऑफ इंडिया में तब कार्य करने और प्रताप राव भौंसले संसदीय समिति का एक सदस्य होने के नाते मुझे सूचित किया गया कि तत्कालिक वित्तमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने 10 प्रतिशत तक यूरिया के भाव कम करने और फॉस्फेट और पोटाश को डिकंट्रोल करने का प्रस्ताव रखा है। मैंने उन्हें परामर्श दिया कि कुछ भी डिकंट्रोल न करें क्योंकि 3 न्यूट्रिऐंस बहुत जरूरी हैं। मैंने उन्हें फॉस्फेट और पोटाश डिकंट्रोल न करने की प्रार्थना की जिससे सब्सिडी बडी थी, फिर भी यूरिया को डिकंट्रोल किया जा सकता है। उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया लेकिन अपनी गलती का एहसास 15 दिनों में ही कर लिया इसके पश्चात समाधान के रूप में सरकार ने राज्य सरकारों को 1,000 रू. प्रति टन डीऐपी और एमओपी की सब्सिडी देने का निर्णय लिया ताकि इसे सीधे किसानों को दे दिया जाऐ।

इस कदम का परिणाम 2 महीने में ही आपूर्ति बंद हो गई क्योंकि कोई सरकारी मशीनरी नहीं थी जो किसानों को इन सुविधाओं और साधनों का वितरण कर पाती। बाद में राज्य सरकारों ने उद्योग से बैठकें की और उनसे मूल्य कम करने के लिऐ कहा ताकि सरकार उनके खाते में सब्सिडी ट्रांसफर करे। इसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन का उपभोग बढ़ा जबकि पी एण्ड के का उपयोग घट गया जिस कारण असुंतलन हो गया। वर्ष 1996–97 में नई सरकार ने पी एण्ड के की भी धीरे–धीरे सब्सिडी बढाई।

यूरिया में कृत्रिम परिवर्तन करने से उद्योग जगत पर बुरा प्रभाव पडा और पिछले 15 सालों में कोई भी नया प्लांट नहीं लगा। इस कारण यूरिया के आयात पर निर्भरता बढ़ गई। लोग गुलाटी साहब कि बात करते हैं कि 52 प्रतिशत सब्सिडी उद्योग को जाती है और बाकि 48 प्रतिशत ही किसानों को। मैं ऐसा नहीं समझता, यदि उद्योग के लिऐ मूल्य निर्धारित कर दिऐ जाऐं और उपकरणों के मूल्य भी नियंत्रण में रखें तो उद्योग जगत कैसे लाभ कमा सकता है।

यदि 52 प्रतिशत सब्सिडी उद्योग को दी तो यह किसी और क्षेत्र के लिऐ होगी। लोगों ने इस सब्सिडी की गणना आयात मूल्य से करनी शुरू की यह कहते हुऐ की यदि आयात शुल्क को कम कर दिया जाऐ तो सब्सिडी किसानों को ही मिलेगी लेकिन यदि आयात से अधिक मूल्य होगा तो उद्योग को सब्सिडी मिलेगी। लेकिन यह भूल गऐ कि गैस निर्यात करने वाले देश में गैस का मूल्य 1 डॉलर प्रति मिलियन बीटीयू था जबकि भारत में गैस और नाफता ईंधन का मूल्य बहुत अधिक था। इस प्रकार इन मूल्यों की तुलना करना उचित नहीं है।

दूसरी गलती तब हुई जब भारत आत्मनिर्भर था और उसे आयात नहीं करना था तब भी मूल्य निर्धारण होता रहा। जब भी ईंधन का आयात बढ़ा तो सब्सिडी भी बढी और वैसे ही चलता रहा। नीति निर्माता सब्सिडी कम करने पर सहमत थे लेकिन उन्होंने सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। आंकडे दर्शाते हैं कि यूरिया के मूल्य स्थिर रहे जबकि नाफता के मूल्य 700 रू. प्रति टन से 58,000 रू. प्रति टन तक बढ़ गऐ। ऐसे में लागत की वसूली कहां से होती ?

ईंधन के मूल्यों की तरह और अन्य मूल्यों की तरह ही जिनका भुगतान डॉलर में किया जाता है, बढ़ने से रूपये का अवमूल्यन कई गुणा हो गया। रेल भाडा बढ़ने से भी उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। लोग उसी मूल्य पर यूरिया लेना चाहते थे और कहने लगे कि इतनी मात्रा में सब्सिडी को बोझ सरकार नहीं उठा सकती। यह गलत धारणा है कि भारत में अनाज का बफरस्टॉक और आत्मनिर्भरता है। अन्य मामलों पर भी विचार करना चाहिऐ। प्रति व्यक्ति कैलोरी की मात्रा कम हो चुकी है क्योंकि भारत के गरीब लोग इन मूल्यों पर भी अनाज नहीं खरीद सकते, भारत और चीन के नाईट्रोजन उत्पादन की तुलना करें तो भारत 12 मिलियन टन वार्षिक जबकि चीन 41 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करता है। चीन भारत से भी बढा आयातक तथा किंतु आज प्रमुख निर्यातकों में से एक है।

भारत के 4.37 मिलियन टन वार्षिक फॉस्फेट उत्पादन की तुलना चीन के 14 मिलियन टन वार्षिक से करना चाहिऐ। भारत में न्यूट्रिऐंट का उपभोग 165 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर कृषि भूमि पर है जबकि चीन लगभग 400 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर कि दर से उपभोग कर रहा है। इन सब के परिणाम स्वरूप उत्पादकता में सुधार हुआ। भारत का वर्तमान धान उत्पादन 305 मिलियन टन है जबकि चीन का 525 मिलियन टन। प्रति हैक्टेयर फसल का अंतर भी 2,800 किलोग्राम से 5,700 किलोग्राम तक है। इस प्रकार यह कहना कि भारत में उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है बिलकुल गलत है।

आमतौर पर लोग कहते हैं कि सब्सिडी का लाभ अमीर किसानों को जाता है जिनके पास 10 हैक्टेयर से अधिक भूमि है। केवल 1 प्रतिशत किसानों के पास 10 हैक्टेयर से अधिक और 64 प्रतिशत किसानों के पास 1 हैक्टेयर से भी कम भूमि है। यह भी गलत धारणा है कि अमीर किसान अधिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। किंतु आंकडे दर्शाते हैं कि मझौले किसान ही अधिक उर्वरक का उपयोग करते हैं क्योंकि उनके पास नवीनतम मशीनें, सिंचाई सुविधाऐं नहीं होती और तकनीकी ज्ञान की भी कमी होती है। अमीर किसानों के पास तकनीकी, अच्छी मशीनें, सिंचाई की अच्छी सुविधाऐं होती हैं और उर्वरक उसमें छोटी भूमिका ही निभाता है।

फिर भी जब बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाता है तो यदि अमीर किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाऐगी तो देश में अतिरिक्त अनाज के भंडार कहां से आऐंगे ? यह मात्रा उन मझौले किसानों से नहीं आती जो अपने द्वारा उगाई गई फसल का स्वयं ही उपयोग करते हैं। खरीद मूल्य में वृद्धि होने से खाद्य सब्सिडी में भी वृद्धि होगी जिस कारण गरीब लोगों की पहुंच से अनाज दूर होता जाऐगा।

कहा जाता है कि भारतीय उद्योग असक्षम है। डॉ० गुलाटी के आंकड़े की 52 प्रतिशत सब्सिडी उद्योग को जाती है यह गलत ब्यान है किंतु इसका बखान हर स्थान पर होता है। भारतीय उद्योग की क्षमता, ताकत और उसके योगदान को भुलाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि जिंसों का उत्पादन कई गुणा बढ़ा है। उर्जा उपभोग में सक्षमता को 2 मानदंडों से देखा जा सकता है, उत्पादन का प्रति टन उपभोग (जिसे तोडा–मरोडा नहीं जा सकता) भारतीय गैस आधारित प्लांट की 8.29 जीसीऐएल प्रति टन अमोनिया है। विकसित देशों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है जहां से यह तकनीक आयात की गई है। दूसरा, मानदंड जल उपभोग का है, यह भी 1990 के दशक के आंकडों से 50 प्रशित कम है। इस प्रकार भारतीय उद्योग को असक्षम कहना निराधार है।

इस वार्तालाप में एक अनय आयाम जोडा गया है कि सब्सिडी के वास्तविक लाभ लेने वाले वे लोग हैं जो औजारों और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। जैसा पहले बताया गया है तेल कंपनियां सब्सिडी का बहुत बडा भाग गटक जाती हैं और करोडों का लाभ कमा रही है। एक तरफ तो हम सब्सिडी बढाते हैं और दूसरी तरफ टैक्स

बढा देते हैं। उदाहरण के लिऐ गैस के मूल्य रॉयल्टी, टैक्स और आयात शुल्क के अनुसार निर्धारित होते हैं। यह टैक्स आम जनता को ही चुकाने पडते हैं लेकिन उर्वरक उद्योग ही आंखों में क्यों चुभता है। निषकर्ष है कि ऐसा कोई जादुई फॉमूला नहीं है जिसमें किसान पूरा मूल्य न दे, सरकार सब्सिडी न दे लेकिन उद्योग चलता रहे। आयात के बारे में एक अन्य बात यह है कि पूरे विश्व में किसानों को सब्सिडी दी जाती है। यूरोपियन यूनियन, जापान, अमेरिका जहां पर प्रति व्यक्ति, प्रति हैक्टेयर का उत्पादन भारत से भी कम है, वहां पर एक्सपोर्ट को सब्सिडी दी जाती है और उन किसानों को अधिक लाभ मिलता है जिनके पास बढ़े–बढ़े खेत होते हैं। व्यवहारिक उद्योग के वकीलों का कहना है कि उद्योग की समस्या आयात से हल होगी तो उद्योग के पास अन्य क्या विकल्प है।

इसके लिऐ दो समाधान हैं। पहला, यदि सरकार सब्सिडी नहीं देना चाहती तो इसे उद्योग को आजाद कर देना चाहिऐ और यदि सब्सिडी देना चाहती है तो यह सीधे किसानों को दी जा सकती है। सरकार के लिऐ सबसे महत्वपूर्ण है कि वह उद्योग को मुक्त कर दे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एनपीटी अनुपात के लिऐ यूरिया को एनबीएस सब्सिडी के अंतर्गत लाया जाऐ नहीं तो इसे मूल्य बढ़ाने चाहिऐं ताकि धीरे–धीरे सब्सिडी कम होती जाऐ।

उद्योग की निर्भरता उत्पादन की लागत पर निर्भर करती है। सब्सिडी कम करने से महत्वपूर्ण औजारों, मशीनरी की लागत में वृद्धि हो जाती है। किंतु सब्सिडी में अनियंत्रित वृद्धि से अधिक टैक्स लगाने पडते हैं और समान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता की भारत में ही अनावश्यक टैक्स और शुल्क लगाऐ जा रहे हैं जबकि सरकार सब्सिडी भी दे रही है। कृषि मूल्यों को मुद्रास्फीति के अनुसार नियमित रूप से समायोजित करना चाहिऐ।

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति को रिवाईव करना और फिक्की के ई.डी. पद को बनाना बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। समय आ गया है कि तर्कसंगत नितियां बनाई जाऐं और अस्थाई उपायों को बंद किया जाऐ तथा बहुत से ऐसे उपाय भी किऐ जाऐं चाहे इसके परिणाम अच्छे न हों लेकिन न्यूट्रिऐंट जैसे आवश्यक तत्वों के उत्पादन पर सब्सिडी दी जानी चाहिऐ।